

कार्यालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / 2026 / 16

दिनांक :- 01.09.2026

:: कार्यालय आदेश ::

विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 01 (01) न्याय/2026 दिनांक 22.06.2026 द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिनाय जिला अजमेर न्यायालय का सृजन किया गया है जिसके क्रम में एवं श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के अनुमोदन पत्रांक स्था/2026/28822 दिनांक 25.08.2026 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 (1) एवं 13 (2) के तहत पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न एवं दर्ज होने वाले समस्त आपराधिक मामले जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अन्य किसी न्यायालय को नहीं दिया गया हो, ऐसे मामलों की सुनवाई, विचारण एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार उक्त नवसृजित न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिनाय जिला अजमेर को प्रदान करता हूँ।

आदेश आज दिनांक 01.09.2026 से प्रभावी रहेगा।


{रमन कुमार शर्मा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

क्रमांक / 2026 / 21120

दिनांक :- 01.09.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकडी न्यायक्षेत्र जिला अजमेर।
03. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भिनाय जिला अजमेर।
04. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
05. थानाधिकारी, पुलिस थाना भिनाय, अजमेर।
06. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम अजमेर को भेजकर लेख है कि आज ही अजमेर जिले के समस्त पुलिस थानों में उक्त संदेश प्रसारित करें।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर upload करें।
08. कार्यालय प्रति।


{रमन कुमार शर्मा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर